राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY
खनिज भवन, उदयपुर – 313001 / Khanij Bhawan, Udaipur – 313001
दूरभाष / Phones: 2415091-95, फेक्स / Fax: 0294 - 2410526

क्रमांक निदे/प.2/कास/नियम/2019/ 796 दिनांक27.05.2019

परिपत्र

शासन की अधिसूचना दिनांक 28.2.2017 के द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 जारी की गई है, जिसमें शिड्यूल VI Delegation of Powers के तहत नियम 29 के प्रावधानों अनुसार खनन पट्टों / क्वारी लाईसेंसों / अल्पावधि अनुमति पत्रों में माईन प्लान / माईनिंग स्कीम / सिम्पलीफाईड माईनिंग स्कीम / माईन क्लोजर प्लान का अनुमोदन हेतु वृत के अधीक्षण खनि अभियन्ताओं तथा खनि अभियन्ताओं / सहायक खनि अभियन्ताओं को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

उपरोक्त के क्रम में इस परिपत्र के माध्यम से खनन पट्टों / क्वारी लाईसेंसों / अल्पावधि अनुमति पत्रों में प्राप्त होने वाले माईन प्लान / माईनिंग स्कीम / सिम्पलीफाईड माईनिंग स्कीम / माईन क्लोजर प्लान का अनुमोदन किये जाने के पूर्व उनका मौका निरीक्षण एवं सत्यापन किये जाने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:–

क्र.स.	अनुमोदन करने हेतु अधिकृत अधिकारी का पदनाम	नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का विवरण	मौका निरीक्षण एवं सत्यापन हेतु अधिकृत अधिकारी का पदनाम
1	वृत के अधीक्षण खनि अभियन्ता	नियम 29 submission and approval of mining plan / mining scheme / simplified mining scheme for mining lease and simplified mining scheme for Quarry licence having area more than 1.00 hectare	सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता एवं सम्बन्धित वरिष्ठ भूवैज्ञानिक / भूवैज्ञानिक
2	खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता	नियम 29 submission and approval of simplified mining scheme for Quarry licence having area upto 1.00 hectare, short term permit and permit	सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता

नोट:– खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय क्षेत्राधिकार में माईन प्लान / माईनिंग स्कीम / सिम्पलीफाईड माईनिंग स्कीम / माईन क्लोजर प्लान का अनुमोदन किये जाने के पूर्व उनका मौका निरीक्षण एवं सत्यापन किये जाने हेतु उपरोक्त तालिका में क्र.स. 1 में वर्णित "वरिष्ठ भूवैज्ञानिक / भूवैज्ञानिक" के स्थान पर "अधीक्षण भूवैज्ञानिक" को आगामी आदेशों तक अधिकृत किया जाता है ।

(जे.के. उपाध्याय)I.A.S.
निदेशक

क्रमांक निदे/प 2/कास/नियम/2012/ 797-808 दिनांक 27/05/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर के दिनांक 24.5.2019 को दूरभाष पर दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया जिला बीकानेर हेतु अधीक्षण भूवैज्ञानिक के नाम से मौका निरीक्षण एवं सत्यापन हेतु निर्देशों का शासन स्तर से आवश्यक अनुमोदन प्रदान कराने का श्रम करावें ।
2- समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान) ।
3- समस्त अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) ।
4- वित्तीय सलाहकार, के.का., उदयपुर ।
5- समस्त अधीक्षण खनि अभियन्ता ।
6- समस्त अधीक्षण भूवैज्ञानिक ।
7- समस्त खनि अभियन्ता ।
8- समस्त वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ।
9- समस्त सहायक खनि अभियन्ता ।
10- नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के.का., उदयपुर को विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।
11- डी.सी. उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/ग्रेनाईट
12- रक्षित पत्रावली ।

27.5.19

(अनिल खिमेसरा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.ाा)